पत्रांक 3218 /आयु0 कर उत्तरा0/वाणिज्य कर/फार्म/2016–17/दे0दून

कार्यालय–आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(फार्म–अनुभाग)
देहरादून:: दिनांक:: 22 अगस्त 2016

श्रीमती नीलम ध्यानी
डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
मुख्यालय देहरादून।

वाणिज्य कर विभाग के ओ0सी0 स्टैम्पस के मुद्रण एवं मुद्रण के पश्चात आपूर्ति हेतु निविदा सूचना पत्रांक 3216..... दिनांक 22–08–2016 द्वारा मुहरबन्द निविदा दिनांक 03 सितम्बर 2016 को अपरान्ह 2.00 बजे तक आमंत्रित की गयी है। जिसे विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

निर्देश दिये जाते हैं कि प्राथमिकता के आधार पर उक्त सूचना को वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न–यथोपरि

(रणवीर सिंह चौहान)
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

Tender/Tender 2013/only letter

निविदा प्रपत्र (TENDER FORM)

(उत्तराखण्ड वाणिज्य कर, विभाग सम्बन्धी ओ0सी0स्टैम्प्स की सिक्योरिटी प्रिंटिंग हेतु)

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड द्वारा प्रकाशित अल्पकालीन निविदा–सूचना संख्या– 3216 / फार्म–अनुभाग(2016–2017)वाणि0कर / दे0दून–2016 / दिनांक 22अगस्त–2016 के संदर्भ में वाणिज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के लिये निम्नलिखित ओ0सी0स्टैम्प्स की सिक्योरिटी प्रिंटिंग एवं सप्लाई हेतु निविदा–प्रपत्र में दिये गये निम्न कार्य, शर्तो एवं प्रतिबन्धों (specifications) को स्वीकार करने के उपरान्त प्रस्तावित दर अंकित करते हुए ''मुहर बंद निविदा'' एतद् द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

कार्य विवरण

क्र0सं0	मुद्रण हेतु फार्मस / सटेम्पस	मुद्रण का प्रकार	मात्रा	सिक्योरिटी फीचर्स	अनुमानित दर
1.	स्टैम्पस ए0ए0सीरीज(ओ0सी0टिकट) साइज–दोनों प्रतियां मिलाकर (8 सेमी0 X 5 सेमी0)	उच्चकोटि के 60 GSM क्रीमवोव पेपर पर सिक्योरिटी प्रिंटिंग	5,00,000 (पॉच लाख)	न्यूनतम एक	75000.00

स्टैम्पस् के specifications,

1– स्टैम्प ए0ए0सीरीज ओ0सी0स्टैम्पसः–

- यह स्टैम्पस् उच्च कोटि के 60 GSM क्रीमवोव पेपर पर दो प्रतियों (मूल एवं कार्यालय प्रति) के Set में छापे जायेंगे । प्रत्येक Set पर चारों ओर Perforation होगा, और दोनों प्रतियों को अलग करने के लिए डिवाइड़िंग लाईन होगी ।
- इन स्टैम्पस् में कम से कम एक सिक्योरिटी फीचर्स रखा जायेगा । इसके अलावा इनका छः अंकों का क्रमांक एक बाक्स में डाला जायेगा। इस बाक्स का रंग ऐसा होगा जो अल्ट्रावाइलेट किरणों से प्रकाशवान होगा। इनका सैम्पल दिखा कर अनुमोदन आयुक्त कर उत्तराखण्ड से कराना होगा ।
- छापे जाने वाले स्टैम्पस की सीरीज OCUK/2016 होगी तथा क्रमांक (बाक्स के अन्दर)000001 एवं उससे आगे होगा ।
- इनकी दोनों प्रतियों को मिला कर साइज 8 सेमी0 X 5 सेमी0 होगी। प्रत्येक प्रति पर उपर ''वाणिज्य कर विभाग उत्तराखण्ड'' का शीर्षक डाला जायेगा तथा बीच में उत्तराखण्ड शासन की सील बनाई जायेगी, इस सटैम्पस में ''बिलों पर लगाने हेतु'' प्रिंट किया जायेगा।

स्टैम्पस् के मुद्रण की शर्ते एवं प्रतिबन्ध :–

1– निविदा(TENDER) केवल उसी सिक्योरिटी प्रिन्टर के विचारार्थ स्वीकार किये जायेंगे जो इण्डियन बैंक एसोसिएशन (IBA) मुम्बई से MICR Cheques की सिक्योरिटी प्रिंटिंग के लिए एप्रूब्ड हो तथा उनके पैनल पर हो इसके साक्ष्य की प्रमाणित प्रति टेण्डर के साथ संलग्न की जायेगी।

2– निविदा(TENDER) के साथ **रु0–4,000 / –(चार हजार)** की ''अर्नेस्ट मनी'' जमा करनी होगी, जो आयुक्त कर, उत्तराखण्ड के पक्ष में देय एफ0डी0आर0 के रुप में इस शर्त के साथ जमा करायी जा सकती है कि यह आयुक्त कर, उत्तराखण्ड के नाम प्लेज करनी होगी। जिन प्रतिभागी फर्मो का टेण्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा, उनकी ''अर्नेस्ट मनी'' वापस कर दी जायेगी। जिस फर्म की निविदा (TENDER) स्वीकार होगी। उसकी''अर्नेस्टमनी''आर्डर की आपूर्ति पूर्ण होने 06(छः) माह बाद वापस कर दी जायेगी। समय से कार्य पूरा न होने या कार्य करने में असफल होने तथा निविदा की शर्तो का उल्लंघन करने पर उक्त राशि वाणिज्य कर विभाग के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

क्रमांक–2

3– निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरें सप्लाई पर देय सभी करों को सम्मिलित करते हुए दी जायेगी। प्रस्तुत दरें निविदा(TENDER) स्वीकृति के 90 दिन की अवधि के लिये मान्य होगी। इसके पश्चात दोनो पक्षों की सहमति के आधार पर आयुक्त कर उत्तराखण्ड को अधिकार होगा कि वे इस अवधि या इस अवधि के बाद छः माह तक इन्हीं दरों पर मुद्रण कार्य करा सकेंगे।

4– मुद्रण हेतु आदेशित संख्या आवश्यकतानुसार घट/बढ सकती है। जिसके लिये अलग से कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।

5– छपे हुए ओ0सी0स्टैम्पस का स्टॉक प्रेस की सुरक्षा में आयुक्त कर, उत्तराखण्ड के कार्यालय परिसर मसूरी बाई पास रोड़, निकट छः नम्बर पुलिया, देहरादून पर रखा जायेगा और आयुक्त कर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय–समय पर आदेश निर्गत करने पर अधिकृत अधिकारी को जारी किया जायेगा।

6– मुद्रण एवं आपूर्ति के कार्य के निष्पादन हेतु आपूर्ति किये जाने वाले ओ0सी0स्टैम्पस के अनुमोदित मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि की(निविदा के समय दी गयी ''अर्नेस्ट मनी'' को समाहित करते हुये) राष्ट्रीयकृत बैंक की गारण्टी प्रतिभूति के रुप में जमा करनी होगी। उक्त बैंक गारण्टी आपूर्ति आदेश के क्रियान्वयन से पूर्व प्रस्तुत की जायेगी और वह कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिये होगी अथवा आवश्यकता पड़ने पर इसे स्वीकृत निविदा (TENDER) हेतु निर्गत आपूर्ति आदेश के क्रियान्वयन तक के लिये नवीनीकृत कराना होगा। समय से कार्य पूरा न होने की शर्तो को पूर्ण न करने तथा निविदा(TENDER) की शर्तो का उल्लंघन करने पर आयुक्त कर, उत्तराखण्ड को अधिकार होगा कि वह प्रतिभूति की राशि को वाणिज्य कर विभाग के पक्ष में जब्त कर लें।

7– छापे गये ओ0सी0स्टैम्पस का दुरुपयोग न हो, इसके लिये प्रेस को ''इन्डैमनिटी बाण्ड'' भरना होगा, जिसके तहत दुरुपयोग होने की स्थिति में राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति करनी होगी।

8– भुगतान के सम्बन्ध में यह व्यवस्था अपनाई जायेगी कि टेण्डर के अनुसार आपूर्ति के उपरान्त देयक प्रस्तुत होने पर 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान सत्यापन के पश्चात यथासम्भव 60 दिन के अन्दर कर दिया जायेगा, और 10 प्रतिशत का भुगतान अंतिम निर्णय के पश्चात किया जायेगा।

9– जिस प्रेस की निविदा(TENDER) स्वीकार की जायेगी वह छपाई का कार्य स्वयं करेगा और किसी भी दशा में किसी दूसरे मुद्रक को यह कार्य नहीं सौंपेगा और न ही दिखायेगा।

10– प्रेस सम्बन्धित कार्य को गोपनीय रखेगा और दूसरे अनाधिकृत तत्व के हाथ में किसी भी हालत में पूर्ण या आंशिक रुप में नहीं जाने देगा।

11– प्रेस में छपाई तथा ओ0सी0स्टैम्पस के स्टाक का निरीक्षण करने का अधिकार आयुक्त कर, उत्तराखण्ड अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को होगा।

12– समय से कार्य पूरा न होने अथवा कार्य करने में असफल होने अथवा किसी शर्त का उल्लंघन करने पर आयुक्त कर, उत्तराखण्ड को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेकानुसार उक्त कार्य को रोक दें, निर्बन्धित कर दें, अथवा वापस ले लें और दूसरे प्रेस से करवा लें, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को होने वाली क्षति की पूर्ति अथवा व्यय की वसूली, निविदादाता से की जायेगी।

13– मुद्रित कराये जा रहे ओ0सी0स्टैम्पस का अन्यत्र दुरुपयोग, मिसिंग तथा चोरी होने पर होने वाले क्षति के लिए आयुक्त कर द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं इसकी वसूली भूराजस्व के बकाये की भॉति सम्बन्धित प्रेस से की जायेगी।

14– मुद्रित कराये गये ओ0सी0स्टैम्पस की आपूर्ति आयुक्त कर के निर्देशानुसार एफ0ओ0आर0 डिलीवरी (F.O.R. Delivery) आयुक्त कर, कार्यालय, मसूरी बाई पास रोड़, निकट छः नम्बर पुलिया, देहरादून में देनी होगी।

15– सशर्त टेंडर स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

क्रमांक–3

16– आयुक्त कर, उत्तराखण्ड को किसी भी निविदा(**TENDER**) को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।

17– निविदा(**TENDER**) के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद होता है तो उसका क्षेत्राधिकार देहरादून स्थित न्यायालय का होगा।

18– मुद्रित किये जाने वाले ओ0सी0स्टैम्पस के सैम्पल को अनुमोदन आयुक्त कर से आपूर्ति आदेश के एक सप्ताह के अन्दर कराना होगा तथा अनुमोदन के 15 दिन के अन्दर आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। आपूर्ति का समय केवल आयुक्त कर द्वारा ही बढाया जा सकेगा। निविदाकर्ता स्वयं इसे नहीं बढा सकेगा।

19– प्राप्त ओ0सी0स्टैम्पस पेपर की गुणवता का परीक्षण आई0आई0टी रूड़की से कराया जायेगा। इस पर होने वाला व्यय विभाग द्वारा किया जायेगा। **60 GSM** की गुणवता में **±4%** की छूट प्रदान की जायेगी लेकिन इससे ज्यादा अन्तर आता है तो पेनाल्टी क्लाज लागू होगा तथा गुणवता परीक्षण पर हुए व्यय की कटौती भी निविदादाता के बिलों से की जायेगी।

कटौती नियमानुसार की जायेगीः–

कुल कीमत का 65% जो कागज की कीमत है **= A**

60 GSM से **±4%** $\dfrac{\text{की छूट के बाद प्राप्त अन्तर} \times 100}{60}$ **=B**

कटौती = $\dfrac{A \times B}{100}$

जमा ''अर्नेस्ट मनी'' का विवरणः–

(क) रु0–4,000/–(चार हजार) की एफ0डी0आर0 जो आयुक्त कर, उत्तराखण्ड देहरादून के नाम प्लेज की गयी हो, का विवरणः–

....

सभी शर्ते, प्रतिबन्ध एवं Specifications स्वीकार करते हुए छपाई/आपूर्ति की प्रस्तावित दर अंकित करते हुये आयुक्त कर, उत्तराखण्ड के समक्ष प्रस्तुत।

(निविदादाता के हस्ताक्षर)

दिनांक———————————— नामः–

स्थान———————————— पूर्ण पताः–

(रंजीत सिंह)	(सावित्री शाह)	(मनीषा सैनी)	(गंगा प्रसाद)	(विपिन चन्द्र)
असि0कमि0वा0क0	डि0कमि0वा0क0	डि0कमि0वा0क0	एडि0कमि0वा0क0	एडि0कमि0वा0क0
सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

पत्रांक– 3216 / आयु0क0उत्तरा0 / फार्म–अनु0(2016–2017) / वाणि0कर / दे0दून::दिनांक 22 अगस्त, 2016

कार्यालय–आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, मसूरी–जोगीवाला बाईपास, नजदीक छः नम्बर, पुलिया देहरादून ।

दूरभाष नं0–0135–2669773, 2669851, फैक्स नं0– 0135–2669935

::अल्पकालीन निविदा सूचना::

(सिक्योरिटी प्रिंटिंग हेतु)

वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के उपयोगार्थ उत्तराखण्ड मूल्य विर्धित कर अधिनियम–2005 के अन्तर्गत निर्धारित निम्नलिखित ओ0सी0स्टैम्पस की उच्च कोटि की सिक्योरिटी प्रिंटिंग हेतु "मुहरबंद निविदा" आमंत्रित की जाती हैं। उन्हीं सिक्योरिटी प्रेस के "मुहरबंद निविदा" विचारार्थ स्वीकार की जायेगी जो इन्डियन बैंक एसोसिएशन **(IBA)** मुम्बई से **M I C R Cheques** की सिक्योरिटी प्रिंटिंग के लिए एप्रूब्ड हो तथा उनके पेनल पर हो, इस तथ्य के साक्ष्य की प्रमाणित फोटो प्रति निविदा(TENDER) के साथ संलग्न करनी होगी। मुद्रण हेतु दी गयी मात्रा वास्तविक आवश्यकता के अनुसार घट / बढ सकती है, जिसके लिए अलग से कोई मुआवजा देय न होगा। निविदा **दिनांक 03 सितम्बर–2016 को अपरान्ह 2.00 बजे** तक कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून में प्राप्त हो जानी चाहिए। निविदा उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड में गठित समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

क्र0सं0	मुद्रण हेतु फार्मस / सटेम्पस	मुद्रण का प्रकार	मात्रा	सिक्योरिटी फीचर्स
1–	**स्टैम्पस** **ए0ए0सीरीज(ओ0सी0टिकट)** साइज–दोनों प्रतियां मिलाकर (8 सेमी0 X 5 सेमी0)	**उच्चकोटि के 60 GSM क्रीमवोव पेपर पर सिक्योरिटी प्रिंटिंग**	5,00,000 (पॉच लाख)	न्यूनतम एक

उक्त ओ0सी0स्टैम्पस के specifications, मुद्रण एवं आपूर्ति की शर्त तथा प्रतिबन्ध के विवरणों सहित "निविदा फार्म" वाणिज्य कर(Commercial Tax)विभाग की वेबसाइट में उपलब्ध कराया गया है, प्रतिभागी www.comtax.uk. gov.in में वाणिज्य कर विभाग की,**"फार्मस एण्ड स्टैम्पस साइट"** में देखकर विवरण एवं निविदा(TENDER) फार्म प्राप्त कर सकते हैं। निविदा(TENDER) फार्म के साथ रु0–4,000 / –(चार हजार) की अर्नेस्टमनी जमा करनी होगी, जो आयुक्त कर, उत्तराखण्ड देहरादून के पक्ष में बैंक एफ0डी0आर0 के रुप में जमा की जा सकती है, जिसे आयुक्त कर, उत्तराखण्ड के पक्ष में प्लेज करना होगा। जिन निविदादाताओं की निविदा (TENDER) स्वीकार नहीं की जायेगी, उनकी अर्नेस्ट मनी वापस कर दी जायेगी। आयुक्त कर को किसी भी निविद (TENDER) को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

(रणवीर सिंह चौहान)
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड